रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102020-222236
CG-DL-E-03102020-222236

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942
No. 495] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

IndiaCode

विद्युत मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 607(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खण्ड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, और ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा प्रबंधकों के लिए न्यूनतम अर्हता) नियम, 2006 के उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त अधिनियम की धारा 14 के खंड (ड) के तहत ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा प्रबंधकों के लिए न्यूनतम अर्हता विहित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा लेखा परीक्षक, ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) और ऊर्जा प्रबंधक के लिए न्यूनतम अर्हता) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ**- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से ऊर्जा लेखा परीक्षकों, ऊर्जा प्रबंधकों, या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "प्रमाण-पत्र" से ऊर्जा लेखा-परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) या ऊर्जा प्रबंधक के समर्थन में ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा में सफल घोषित होने पर या ब्यूरो द्वारा अधिसूचित अभिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(घ) "डिप्लोमा इंजीनियर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम (1987 का 52) के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी भी संस्थान से इंजीनियरी में डिप्लोमा प्राप्त किया है;

(ड.) "स्नातक इंजीनियर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, (1956 का 3) या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 के अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी समतुल्य विश्वविद्यालय के उपबंधों के अधीन घोषित विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है;

(च) "स्नातक वास्तुकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 के अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी समतुल्य विश्वविद्यालय के उपाबंधों के अधीन घोषित विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है;

(छ) "राष्ट्रीय परीक्षा" से ब्यूरो द्वारा आयोजित परीक्षा या ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा प्रबंधकों या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के प्रमाणन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त अभिकरण अभिप्रेत है;

(ज) "स्नातकोत्तर इंजीनियरी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 के अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी समतुल्य विश्वविद्यालय के उपाबंधों के अधीन घोषित विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है;

(झ) "स्नातकोत्तर वास्तुकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 के अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी समतुल्य विश्वविद्यालय के उपाबंधों के अधीन घोषित विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातकोत्तर डिग्री की है;

(ञ) "स्नातकोत्तर" से अभिप्रेत कोई स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समतुल्य डिग्री, जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता-प्राप्त हो या जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपाबंधों के अधीन विश्वविद्यालय माना गया हो;

(2) इन प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वहाँ अर्थ है जो क्रमशः अधिनियम में है।

3. **किसी व्यक्ति को ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) या ऊर्जा प्रबंधक के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए अर्हता -** कोई व्यक्ति प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक या प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) या प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक बनने के लिए तभी अर्हक होगा, यदि उसने ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) या ऊर्जा प्रबंधक के लिए राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और उसे इस संबंध में ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा परीक्षक, ऊर्जा लेखा परीक्षक

(भवन) और ऊर्जा प्रबंधक के लिए प्रमाणन प्रक्रिया) विनियम, 2020 के उपाबंधों के अनुसार प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

4. **ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) या ऊर्जा प्रबंधक के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम अर्हता -** (1) कोई व्यक्ति ऊर्जा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा, यदि वह -

(क) संचालन, अनुरक्षण, योजना, ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण, भवन डिजाइन या भवन ऊर्जा प्रबंधन में ऊर्जा के उपयोग से जुड़े तीन वर्षों के कार्य अनुभव के साथ स्नातक इंजीनियर या स्नातक वास्तुकार है; या

(ख) संचालन, अनुरक्षण, योजना, ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण, भवन डिजाइन या भवन ऊर्जा प्रबंधन में ऊर्जा के उपयोग से जुड़े दो वर्ष के कार्य अनुभव के साथ इंजीनियरी या वास्तुकला में स्नातकोत्तर है; या

(ग) संचालन, अनुरक्षण, योजना, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण, भवन डिजाइन या भवन ऊर्जा प्रबंधन में ऊर्जा के उपयोग से जुड़े दो वर्ष के कार्य अनुभव के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समतुल्य स्नातक इंजीनियर या स्नातक वास्तुकार है।

(2) कोई व्यक्ति ऊर्जा प्रबंधक के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा, यदि वह –

(क) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करता है, या

(ख) एक डिप्लोमा इंजीनियर है, जिसे संचालन, अनुरक्षण, योजना, ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण, भवन डिजाइन या भवन ऊर्जा प्रबंधन में ऊर्जा के उपयोग से संबंधित छह वर्ष का कार्य अनुभव है; या

(ग) संचालन, अनुरक्षण, योजना, ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण, भवन डिजाइन या भवन ऊर्जा प्रबंधन में ऊर्जा के उपयोग सहित तीन वर्ष के कार्य अनुभव के साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या रसायन विज्ञान (स्नातक स्तर पर भौतिकी और गणित सहित) में स्नातकोत्तर है।

(3) राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने वाला अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में सफल घोषित होने पर प्रमाण-पत्र के लिए पात्र होगा।

(4) इन नियमों की अधिसूचना से पहले ब्यूरो द्वारा आयोजित ऊर्जा प्रबंधकों या ऊर्जा लेखा परीक्षकों के प्रमाणन के लिए कोई भी राष्ट्रीय परीक्षा इन नियमों के अधीन आयोजित की गई समझी जाएगी।

[फा.सं. 10/1/2018- ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2020

G.S.R. 607(E).—In exercise of the power conferred by clause (j) of sub-section (2) of section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), and in supersession of the Energy Conservation (Minimum Qualification for Energy Managers) Rules, 2006, Except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency hereby makes the following rules to prescribe minimum qualifications for Energy Auditors and Energy Managers under clause (m) of section 14 of the said Act, namely:-

1. Short Title and Commencement.- (1) These rules may be called the Energy Conservation (Minimum Qualification for Energy Auditors, Energy Auditors (Building) and Energy Managers) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

(b) "agency" means an agency appointed by the Bureau for holding National Examination for certification of Energy Auditors, Energy Managers, or Energy Auditors (Building);

(c) "certificate" means the certificate issued, on being declared successful in the National Examination, by the Bureau or the agency notified by the Bureau in support of Energy Auditor or Energy Auditor(Building)or Energy Manager;

(d) "Diploma Engineer" means a person who has obtained a diploma in engineering from any institution recognised by the All India Council for Technical Education under the All Indian Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);

(e) "Graduate Engineer" means a person who has obtained a graduation degree in engineering from a University or a deemed to be University declared under the provisions of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or its equivalent recognised by the All India Council for Technical Education under the All Indian Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);

(f) "Graduate Architect" means a person who has obtained a graduation degree in architecture from a University or a deemed to be University declared under the provisions of the University Grants Commission Act, 1956 or its equivalent, recognised by the All India Council for Technical Education under the All Indian Council for Technical Education Act, 1987 (3 of 1956);

(g) "National Examination" means the examination conducted by the Bureau or the agency appointed by the Bureau for certification of Energy Auditors and Energy Managers or Energy Auditors (Building);

(h) "Post- Graduate in Engineering" means a person who has obtained a post-graduation degree in engineering from a University or a deemed to be University declared under the provisions of the University Grants Commission Act, 1956 or its equivalent, recognised by the All India Council for Technical Education under the All Indian Council for Technical Education Act, 1987;

(i) "Post- Graduate in Architecture" means a person who has obtained a post-graduation degree in architecture from a University or a deemed to be University declared under the provisions of the University Grants Commission Act, 1956 or its equivalent, recognised by the All India Council for Technical Education under the All Indian Council for Technical Education Act, 1987;

(j) "Post- Graduate" means a post-graduate degree or its equivalent, recognised by University or a deemed to be University under the provisions of the University Grants Commission Act, 1956;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Qualification for a person to be recognised as certified Energy Auditor or Energy Auditor (Building) or Energy Manager.– A person shall be qualified to become a certified Energy Auditor or Certified Energy Auditor (Building) or certified Energy Manager, if he has passed the National Examination for Energy Auditor or Energy Auditor (Building)or Energy Manager, and has been issued a certificate in accordance with the provisions of the Bureau of Energy Efficiency (Certification Procedure for Energy Auditor, Energy Auditor (Building) and Energy Manager) Regulations, 2020 by the Bureau to that effect.

4. Minimum Qualification for appearing in the National Examination for the certification of Energy Auditor or Energy Auditor (Building) or Energy Manager.- (1) A person shall be eligible for appearing in the National Examination for the certification of Energy Auditor or Energy Auditor (Building), if he is,-

(a) a Graduate Engineer or Graduate Architect with three years of work experience involving use of energy in operation, maintenance, planning, energy management, energy efficiency and energy conservation, building design or building energy management; or

(b) a Post-Graduate in Engineering or Architecture with two years of work experience involving use of energy in operation, maintenance, planning, energy management, energy efficiency and energy conservation, building design or building energy management; or

(c) a Graduate Engineer or Graduate Architect with a post-graduate degree in Management or its equivalent with two years of work experience involving use of energy in operation, maintenance, planning, energy efficiency and energy conservation, building design or building energy management.

(2) A person shall be eligible for appearing in the National Examination for the certification of Energy Manager, if he,-

(a) fulfils eligibility criteria specified in sub-rule (1) or

(b) is a Diploma Engineer with six years of work experience involving use of energy in operation, maintenance, planning, energy management, energy efficiency and energy conservation, building design or building energy management; or

(c) is a Post-Graduate in Physics or Electronics or Chemistry (with Physics and Mathematics at graduation level) with three years of work experience involving use of energy in operation, maintenance, planning, energy management, energy efficiency and energy conservation, building design or building energy management.

(3) A candidate appearing in the National Examination shall be eligible for award of certificate on being declared successful in the said examination.

(4) Any National Examination for certification of Energy Managers or Energy Auditors held by the Bureau prior to the notification of these rules shall be deemed to have been conducted under these rules.

IndiaCode

[F. No. 10/1/2018-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.